

# कृषि निदेशालय, बिहार, पटना।

पत्र संख्या-9/उपा०कीट०अनु०-51/2014-

/क०, पटना, दिनांक

अप्रैल, 2015.

प्रेषक,

धर्मेन्द्र सिंह, भा०प्र०से०  
कृषि निदेशक, बिहार, पटना।

सेवा में,

श्री राकेश कुमार,  
मेसर्स अन्नपूर्णा एग्री केमिकल्स  
माँ जानकीकुंज अपार्टमेन्ट,  
दिग्धी कलां हाजीपुर (वैशाली)-844101

विषय :- कीटनाशी बिक्री/भंडारण हेतु नया अनुज्ञप्ति प्रदान करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक आपके आवेदन पत्र, कोषागार चालान एवं अन्य सुसंगत कागजातों तथा सहायक निदेशक (पौ० सं०), वैशाली, हाजीपुर से प्राप्त स्थल जाँच प्रतिवेदन के आधार पर कीटनाशी अधिनियम 1968 नियमावली 1971 एवं आदेश 1986 में निहित प्रावधानों के तहत निम्नलिखित कीटनाशियों का उनके विनिर्माण अनुज्ञप्ति एवं प्रिंसिपल सर्टिफिकेट की वैधता तिथि 31.12.2015 तक के लिए कीटनाशी बिक्री/भंडारण अनुज्ञप्ति प्रदान किया जाता है।

क्र०सं०	कीटनाशी का नाम
1	Cartap Hydrochloride 4% GR
2	Fenvelrate 0.4% DP
3	Pretilaol 50% EC
4	Dichlorovos 76% EC
5	Cypermethrin 25% EC
6	Carbofuran 3% CG
7	Hexaconazole 5% EC
8	Glyphosate 41% SL
9	Mancozeb 75% WP
10	Phorate 10% CG
11	Prophenofos 40%+Cypermethrin 4% EC
12	Sulphur 85% DP

2-उपरोक्त कीटनाशी का प्रतिष्ठान द्वारा भंडारण कीटनाशी अधिनियम 1968, नियमावली 1971, के विहित प्रावधानों के अधीन निम्नांकित भंडार स्थल पर किया जायेगा- मेसर्स अन्नपूर्णा एग्री केमिकल्स, द्वारा-पूष्पा वर्मा, राजकीय मध्य विद्यालय के पीछे बागमूसा, हाजीपुर, वैशाली-844101

3-यह आदेश दिया जाता है कि प्रदत्त कीटनाशियों की बिक्री/भंडारण कीटनाशी अधिनियम 1968, नियमावली 1971, आदेश 1986 में निहित प्रावधानों के अनुसार किया जाय।

4 अनुज्ञप्ति प्राप्त कीटनाशियों के अलावा अन्य कीटनाशी की बिक्री/भंडारण/विपणन एवं वितरण सर्वथा वर्जित होगा।

5-भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा निर्गत परिपत्रों का अनुपालन किया जाना आवश्यक होगा। अमानक कीटनाशी पाये जाने पर उक्त कीटनाशी की बिक्री/भंडारण तुरंत बंद कर देना होगा।

6-अपने प्रतिष्ठान का मासिक प्रतिवेदन नियमानुसार कृषि निदेशक/संयुक्त कृषि निदेशक (पौधा संरक्षण), बिहार, पटना तथा संबंधित जिला कृषि पदाधिकारी को ससमय भेजे।

7-नियम 10 बी० के तहत सल्फर के लिए अलग से बिक्री पंजी का संधारण करना होगा तथा चोरी होने पर निकटतम पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दर्ज करना होगा।

8-अमानक/मिलावटी/नकली कीटनाशी पाये जाने पर विनिर्माता, राज्य में उनके कन्साइनमेंट एजेन्ट/बिक्रय प्रतिनिधि एवं बिक्रेता के विरुद्ध कीटनाशी अधिनियम के विभिन्न धाराओं के तहत कार्रवाई की जाएगी।

9-कीटनाशी अनुज्ञप्ति सं० 135 दिनांक 20.4.15 मूल रूप में संलग्न हैं। कृपया पावती की सूचना दी जाय।

136

विश्वासभाजन,

ह०/-

(धर्मेन्द्र सिंह)

कृषि निदेशक, बिहार, पटना।

ज्ञापांक

1919

/कृ०, पटना, दिनांक ..... ३० अप्रैल, 2015

प्रतिलिपि- (1) संयुक्त निदेशक (पौधा संरक्षण), बिहार, पटना/संयुक्त कृषि निदेशक (उपादान) बिहार, पटना/सहायक निदेशक (सांख्यिकी) बिहार, पटना/जिला कृषि पदाधिकारी, हाजीपुर, वैशाली को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(2) आई० टी० मैनेजर, कृषि विभाग बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

कृषि निदेशक, बिहार, पटना